



चौ० चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ
Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : परीक्षा/ए०आर०/८५१६
दिनांक : 02.01.2024

विज्ञप्ति

विश्वविद्यालय पत्र संख्या-गोप/1867 दिनांक 25.10.2023 के माध्यम से निर्गत विज्ञप्ति द्वारा एन०ई०पी०-2020 के अंतर्गत संचालित स्नातक पाठ्यक्रमों के परीक्षा एवं बैंक पेपर परीक्षा सम्बन्धी नियम प्रकाशित किये गये थे।

उक्त विज्ञप्ति के बिन्दु 4.10 में स्पष्ट उल्लेख है कि स्नातक पंचम सेमेस्टर के छात्र बैंक पेपर के रूप में प्रथम सेमेस्टर का परीक्षाफार्म भरने हेतु अहं नहीं है। फिर भी कुछ छात्रों द्वारा पंचम एवं प्रथम सेमेस्टर के परीक्षाफार्म एक साथ भर दिये गये हैं। यदि प्रथम एवं पंचम सेमेस्टर की परीक्षाएँ अलग-अलग दिवस/पाली में आयोजित कराई जायेगी तो परीक्षाओं की अवधि लगभग एक माह और बढ़ जायेगी जिसके कारण सत्र नियमित नहीं हो पायेगा।


उपर्युक्त परिस्थिति में मा० कुलपति महोदया के अनुमोदनोपरान्त निम्नलिखित कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

01. ऐसे पंचम सेमेस्टर के छात्र जिन्होंने प्रथम सेमेस्टर के बैंक पेपर परीक्षाफार्म भरे हैं, के प्रथम सेमेस्टर के प्रवेश पत्र निर्गत नहीं किये जायेंगे।
 02. ऐसे छात्रों द्वारा जमा किया गया परीक्षा शुल्क उनके छठे सेमेस्टर के परीक्षाफार्म के साथ समायोजित किया जायेगा।
- समस्त महाविद्यालय/छात्र तदनुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।


परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. प्राचार्य/प्राचार्या/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक, समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान/विभाग, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ एवं चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर, मेरठ को इस आशय के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी व्यापक रूप से समस्त सम्बन्धित छात्र/छात्रों को अवगत कराना सुनिश्चित करें।
02. सचिव, कुलपति को मा० कुलपति जी के सूचनार्थ।
03. वयैक्तिक सहायक, निदेशक (अकादमिक) को, निदेशक (अकादमिक) जी के सूचनार्थ।
04. वयैक्तिक सहायक, वित्त अधिकारी को, वित्त अधिकारी के सूचनार्थ।
05. वयैक्तिक सहायक, कुलसचिव को, कुलसचिव जी के सूचनार्थ।
06. वयैक्तिक सहायक, परीक्षा नियंत्रक को, परीक्षा नियंत्रक जी के सूचनार्थ।
07. लेखाधिकारी, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।
08. सहा० कुलसचिव/उप कुलसचिव/प्रभारी (परीक्षा/गोपनीय/लेखा)।
09. प्रभारी-कमैटी सेल/अति गोपनीय विभाग।
10. प्रभारी-कम्प्यूटर केन्द्र/विश्वविद्यालय वेबसाईट।
11. विश्वविद्यालय प्रेस प्रवक्ता/प्रभारी-कम्प्यूटर केन्द्र/विश्वविद्यालय वेबसाईट।
12. विश्वविद्यालय द्वारा अधिकृत एंजेसी मै० आई०टी०आई० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपर्युक्त निर्णय का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करे।
13. सम्पादक, समस्त दैनिक समाचार पत्रों को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त महत्वपूर्ण सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्रों के सभी संस्करणों में विशेष स्थान देते हुए, छात्रहित में, निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
14. विश्वविद्यालय पृच्छाछ-केन्द्र/सूचना पट।


सहा० कुलसचिव (परीक्षा)